भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1739
उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता

†1739. **श्री राजीव राय:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में अवसंरचना में वृद्धि करने और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2023-24 और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) आज की तिथि तक देश में इंटरनेट अवसंरचना/सुविधा प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की प्रतिशतता राज्य-वार क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): **समग्र शिक्षा**- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एक एकीकृत केन्द्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा के लिए कर रहा है। इस योजना के तहत बिना किसी विभाजन के पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा समग्र रूप से संचालित की जाती है और शिक्षा हेतु सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी-4) के अनुरूप है। यह योजना आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है।

यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु बच्चों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने तथा समग्र

शिक्षा योजना के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर पात्र बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, जनजातीय भाषा के लिए प्राइमर/पाठ्यपुस्तकों का विकास, शिक्षण अधिगम सामग्री शामिल हैं।

इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूल अवसंरचना का विकास/सुदृढ़ीकरण, आरटीई अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति, विभिन्न गुणात्मक घटक, अध्यापक शिक्षा को सुदृढ़ करना और डीआईईटी/बीआरसी/सीआरसी को सुदृढ़ करना, आईसीटी और डिजिटल पहलों का प्रावधान शामिल है।

समग्र शिक्षा योजना सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में सहायता करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडबल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन पीएबी द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

पीएम पोषण - प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना तथा गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।

पीएम श्री - पीएम श्री स्कूल केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके स्थापित किए जाते हैं। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करेंगे और इन्हें समय के साथ अनुकरणीय स्कूल के रूप में उभरना है, तथा पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करना है। पीएम श्री योजना में पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट

कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल अधिगम उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में सहायता करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास इन स्कूलों को पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

पीएम श्री योजना का उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता, अवसंरचना विकास और छात्र परिणामों में वृद्धि करना है। शैक्षणिक कौशल को बढ़ाने के लिए प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण सहित नियमित शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग्यता-आधारित मूल्यांकन और समग्र रिपोर्ट कार्ड की शुरूआत से छात्रों का समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित होता है। पीएम श्री योजना में अवसंरचना में वृद्धि के लिए, पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अटल टिंकरिंग लैब्स और स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल अधिगम उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा में सहायता करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास इन स्कूलों को पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

(ख): वर्ष 2023-24 और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का योजना-वार और राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ग): समग्र शिक्षा के तहत इंटरनेट सुविधा के अंतर्गत कवर किए गए प्राथमिक विद्यालयों का राज्य-वार प्रतिशत अनुलग्नक-II में संलग्न है।

*****

अनुलग्नक I

माननीय संसद सदस्य श्री राजीव राय द्वारा 'उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (ख) उत्तर में में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा योजना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य का नाम	2023-24			2024-25		
		पीएबी के अनुसार प्रस्तावित केंद्रीय रिलीज	पीएफएमएस के अनुसार दिनांक 31.3.2024 तक केंद्रीय रिलीज	पीएफएमएस के अनुसार राज्य के शेयर सहित व्यय	पीएबी के अनुसार प्रस्तावित केंद्रीय रिलीज	पीएफएमएस के अनुसार दिनांक 5.3.2025 तक केंद्रीय रिलीज	दिनांक 05.03.2025 तक पीएफएमएस के अनुसार राज्य के शेयर सहित व्यय
	(₹ लाख में)						
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8689.60	5527.59	3205.53	8484.17	3931.31	4193.68
2	आंध्र प्रदेश	175852.87	128940.79	265099.90	172741.31	49615.23	136685.97
3	अरुणाचल प्रदेश	57658.75	47503.50	80559.25	57658.74	27481.60	52345.50
4	असम	257810.22	181047.53	231395.71	257810.22	141584.26	199993.66
5	बिहार	499123.47	424173.10	563593.37	499123.47	298535.35	457148.58
6	चंडीगढ़	13213.99	11636.46	4952.41	13720.64	11858.37	9784.46
7	छत्तीसगढ	115785.13	77659.06	146607.40	121112.26	47964.14	87170.53
8	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	9537.23	4130.25	1792.84	9802.68	3905.46	3946.58
9	दिल्ली	36892.00	14608.83	34695.30	41104.35	15739.16	20407.36
10	गोवा	2426.75	1875.43	5061.75	2426.79	1523.82	3789.80
11	गुजरात	131673.49	113253.16	211023.35	159843.72	84764.45	127082.27
12	हरियाणा	101074.32	57880.25	93238.02	107632.86	26751.36	72324.71
13	हिमाचल प्रदेश	67218.82	48596.96	81863.34	75850.32	33673.31	41918.54
14	जम्मू एवं कश्मीर	172160.13	86543.89	110656.30	172160.13	41156.89	87232.25
15	झारखंड	117386.04	110493.28	218092.48	117386.04	77385.06	171264.74
16	कर्नाटक	92274.51	82808.79	157895.46	92274.51	44119.81	70352.89
17	केरल	32883.07	14165.74	43114.55	42091.42	0.00	20387.45
18	लद्दाख	18248.71	5222.63	2308.69	18570.84	13999.80	7426.06
19	लक्षद्वीप	575.47	100.05	60.42	741.78	306.10	209.61
20	मध्य प्रदेश	384207.16	298151.13	470342.61	384207.15	278367.12	427460.29
21	महाराष्ट्र	131743.28	100119.10	237276.54	132189.99	76911.77	171489.70
22	मणिपुर	48304.51	25721.89	45116.18	48304.51	21182.89	30182.30
23	मेघालय	39882.72	39418.22	66092.91	39882.71	26311.88	53332.42
24	मिजोरम	34428.64	27414.06	33846.24	29418.87	21651.76	34438.55
25	नागालैंड	31427.55	23125.34	30261.64	28439.24	10440.35	21039.56
26	ओडिशा	189520.26	123660.69	285910.35	189520.26	114818.73	225523.05
27	पुदुचेरी	1974.29	1247.38	2643.84	1974.29	752.46	1957.14
28	पंजाब	70878.25	33111.65	89647.34	70878.25	48952.82	87600.79
29	राजस्थान	356025.26	320289.45	506121.57	356025.27	136462.33	335710.33
30	सिक्किम	15973.43	13260.50	11326.54	15337.00	5094.74	8796.22
31	तमिलनाडु	209076.76	187615.54	287638.01	215159.61	0.00	92717.80
32	तेलंगाना	114834.56	92012.79	175403.52	114834.55	65484.28	115119.05
33	त्रिपुरा	41494.43	34132.90	37163.53	41494.45	31120.86	37979.46
34	उत्तर प्रदेश	657874.63	427645.15	842877.61	697126.18	448740.44	645619.08
35	उत्तराखंड	68630.37	44056.91	70752.51	87712.68	34400.40	51852.95
36	पश्चिम बंगाल	174579.85	31129.40	194126.52	174579.86	0.00	155568.40
	कुल	**4481340.50**	**3238279.38**	**5641763.54**	**4597621.12**	**2244988.31**	**4070051.73**

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएम श्री योजना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2023-24				वित्त वर्ष 2024-25			
		अनुमोदित कुल निधि	अनुमोदित केंद्रीय शेयर	राज्य को जारी किया गया केंद्रीय शेयर	उपयोग की गई निधि (केन्द्रीय शेयर+ राज्य शेयर)	अनुमोदित कुल निधि	अनुमोदित केंद्रीय शेयर	राज्य को जारी किया गया केंद्रीय शेयर	उपयोग की गई निधि (केन्द्रीय शेयर+ राज्य शेयर)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	625.30	625.30	156.32	58.60	5.27	5.27	283.09	202.55
2	आंध्र प्रदेश	35485.80	21291.48	10645.72	8142.44	701.65	420.99	17676.64	20642.16
3	अरुणाचल प्रदेश	1873.06	1685.75	421.43	472.15	49.55	44.59	2160.43	1818.49
4	असम	12746.60	11471.94	5735.97	3779.22	296.28	266.65	8416.43	9475.45
5	बिहार	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए
6	चंडीगढ़	72.95	72.95	63.83	49.40	1.77	1.77	80.52	79.11
7	छत्तीसगढ	6579.68	3947.81	1973.91	2037.19	180.7	108.42	3735.18	2245.02
8	दमन और दीव - दादर और नगर हवेली	259.81	259.81	64.96	39.11	1.5	1.5	50.71	55.83
9	गोवा	618.94	371.36	324.94	320.72	15.24	9.144	307.78	469.01
10	गुजरात	10979.03	6587.42	3293.71	2417.16	145.84	87.5	3614.89	6757.13
11	हिमाचल प्रदेश	0*	0*	0*	0*	150.39	135.35	6767.55	3379.43
12	हरियाणा	8526.76	5116.06	2558.02	2371.01	199.01	119.4	2736.06	5771.47
13	जम्मू और कश्मीर	11643.76	10479.38	5239.70	2862.79	246.73	222.05	9971.96	6820.68
14	झारखंड	0*	0*	0*	0*	258.72	155.23	3880.8	0.00
15	कर्नाटक	5029.50	3017.70	2640.48	2126.49	248.42	149.05	3139.87	3538.00
16	लद्दाख	808.54	808.54	404.27	316.99	23.86	23.86	524.89	494.37
17	लक्षद्वीप	436.15	436.15	109.04	12.03	4.12	4.12	0	87.87
18	मध्य प्रदेश	21999.37	13199.62	4453.06	3527.23	329.09	197.45	10314.06	15964.11
19	महाराष्ट्र	21135.18	12681.11	6340.55	6005.76	504.63	302.77	7099.85	11549.52
20	मणिपुर	3919.12	3527.21	1763.60	1858.77	81.79	73.611	2045.67	2098.88
21	मेघालय	955.13	859.62	429.81	217.31	30.94	27.84	1244.18	879.34
22	मिजोरम	911.51	820.36	410.18	216.94	11.27	10.14	234.75	151.40
23	नागालैंड	434.17	390.75	97.70	78.99	23.38	21.04	0	29.76
24	ओडिशा	0*	0*	0*	0*	435.03	261.02	6525.46	4005.38
25	पुदुचेरी	391.77	235.06	205.67	192.37	10.61	6.36	199.66	411.56
26	पंजाब	0*	0*	0*	0*	209.46	125.67	6283.85	6537.41
27	राजस्थान	16394.95	9836.97	2459.24	2634.01	366.76	220.05	5937.03	8308.70
28	सिक्किम	2261.68	2035.51	1017.76	1082.67	28.08	25.27	1510.51	758.62
29	तेलंगाना	39869.33	23921.60	5980.41	2242.99	447.64	268.58	14797.4	18025.75
30	त्रिपुरा	2623.77	2361.39	1180.69	733.75	46.2	41.58	1920.64	2555.78
31	उत्तराखंड	7291.42	6562.28	5741.97	3140.43	124.19	111.77	3185.12	4705.78
32	उत्तर प्रदेश	40498.43	24299.06	12149.53	11057.82	513.36	308.01	14619.35	18854.39
	कुल	**254371.71**	**166902.19**	**75862.47**	**57994.34**	**5691.48**	**3756.057**	**139264.33**	**156672.95**

***राज्यों ने इस योजना को शुरू नहीं किया था।**

पीएम पोषण योजना के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएबी अनुमोदन	जारी की गई	उपयोगिता	पीएबी अनुमोदन	दिनांक 05.03.2025 को जारी किया गया
		2023-24			2024-25	
1.	आंध्र प्रदेश	33137.14	25342.88	29901.66	31199.44	16022.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	2952.84	2573.12	2790.04	2748.33	1939.97
3.	असम	72772.90	59594.79	60594.58	88230.65	45812.90
4.	बिहार	135565.68	92323.54	130154.87	139757.83	48428.18
5.	छतीसगढ	34161.24	24313.65	29132.34	35421.26	21315.62
6.	गोवा	1875.27	1832.31	1875.27	1878.92	1955.94
7.	गुजरात	51988.80	37785.29	48182.94	51707.06	23187.70
8.	हरियाणा	18911.17	16089.74	15546.31	17471.35	7508.56
9.	हिमाचल प्रदेश	10873.62	9435.53	9525.17	10103.60	6587.01
10.	जम्मू एवं कश्मीर	14735.90	13680.88	13091.14	15323.89	7588.30
11.	झारखंड	39799.50	34202.20	35003.68	37052.50	25543.78
12.	कर्नाटक	57261.41	55973.07	54702.00	60513.47	28366.13
13.	केरल	30321.03	24901.32	24702.67	28153.17	9694.54
14.	मध्य प्रदेश	63826.57	63404.21	55869.12	59788.58	58277.06
15.	महाराष्ट्र	109955.50	79372.10	66317.52	132919.97	42744.56
16.	मणिपुर	3026.08	2459.64	3175.07	5233.19	849.81
17.	मेघालय	10456.04	10186.01	10048.24	10082.63	9656.35
18.	मिजोरम	2513.03	2407.96	2388.21	2396.40	1413.26
19.	नागालैंड	2365.92	2250.44	2280.47	2175.06	1018.91
20.	उड़ीसा	56874.05	51937.63	50745.83	52816.85	22124.62
21.	पंजाब	22672.50	19988.62	18398.75	22465.71	11103.21
22.	राजस्थान	80006.45	31727.94	80535.00	59312.79	28186.72
23.	सिक्किम	950.22	801.45	829.41	814.13	572.17
24.	तमिलनाडु	47904.29	39852.49	44619.85	44303.06	32422.39
25.	तेलंगाना	20376.25	14550.92	12896.25	16746.80	7388.04
26.	त्रिपुरा	6541.91	4434.26	5834.36	5850.01	3075.64
27.	उत्तराखंड	13075.21	11482.42	10873.07	13533.06	7133.97
28.	उत्तर प्रदेश	164625.06	100659.56	118721.00	137615.33	86127.59
29.	पश्चिम बंगाल	126707.81	-	-	112715.65	-
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	460.26	505.97	380.12	473.12	347.62
31.	चंडीगढ़	1299.27	639.40	589.52	1201.05	1196.21
32.	दादर और नगर हवेली	1065.10	807.92	1044.48	1147.93	858.57
33.	दमन और दीव					
34.	दिल्ली	12142.65	8370.83	11703.99	14452.82	8998.96
35.	लक्षद्वीप	125.88	95.39	121.45	138.02	204.49
36.	लद्दाख	433.43	504.21	501.32	2090.45	170.30
37.	पुदुचेरी	588.25	634.04	490.75	545.15	402.62
	कुल	**1252348.23**	**1798688.18**	**953566.45**	**1218379.23**	**568224.14**

अनुलग्नक-II

माननीय संसद सदस्य श्री राजीव राय द्वारा 'उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

इंटरनेट सुविधा के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	इंटरनेट की उपलब्धता वाले प्राथमिक विद्यालयों का %
भारत	43.5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26.3
आंध्र प्रदेश	91.8
अरुणाचल प्रदेश	17.1
असम	43.4
बिहार	9
चंडीगढ़	92.9
छत्तीसगढ	58.7
दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	99.4
दिल्ली	100
गोवा	80.9
गुजरात	94.7
हरियाणा	45
हिमाचल प्रदेश	33.7
जम्मू एवं कश्मीर	40.8
झारखंड	48.1
कर्नाटक	32.3
केरल	87.6
लद्दाख	44.9
लक्षद्वीप	100
मध्य प्रदेश	31.9
महाराष्ट्र	57.9
मणिपुर	16
मेघालय	19.4
मिजोरम	15.7
नागालैंड	47.1
ओडिशा	78.5
पुदुचेरी	100
पंजाब	51.1
राजस्थान	53.4
सिक्किम	34.9
तमिलनाडु	99.1
तेलंगाना	15.9
त्रिपुरा	24.1
उत्तर प्रदेश	30.8
उत्तराखंड	63.9
पश्चिम बंगाल	6.4

स्रोत-यूडाइज़+ 2023-24

****